

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 26.09.2013

क्रमांक एफ 16-26/2013/बी/ग्यारह , मेसर्स केडबरी इंडिया लि. का औद्योगिक क्षेत्र, मालनपुर, जिला भिण्ड में कन्फेक्शनरी उत्पाद निर्माण की स्थापित इकाई में विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स केडबरी इंडिया लि. की परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

- (1) रियायती दरों पर भूमि आवंटन- कम्पनी द्वारा परियोजना हेतु आवंटित 10 एकड़ भूमि हेतु निर्धारित प्रीमियम दर अनुसार चुकाई गई पूर्ण राशि में से, मेगा परियोजनाओं को निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन संबंधी नीतिगत प्रावधान अनुरूप छूट देते हुए शेष राशि (75 प्रतिशत) कम्पनी को वापिस की जावे।
- (2) प्रवेश कर से छूट- प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्षों के लिये।
- (3) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता- 75 प्रतिशत की दर से 10 वर्षों के लिये।
- (4) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-26/2013/बी/ग्यारह
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 26.09.2013

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल।
4. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
6. आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना।
7. कलेक्टर, भिण्ड।
अपर/संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, ग्वालियर।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि., ग्वालियर।
10. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स केडबरी इंडिया लि., प्लॉट नं. 25, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर तहसील गोहद, जिला भिण्ड। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग